संख्या:260/2015/2655जेएल/22-3-15-100(86)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2015***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी जनपद-जौनपुर को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31740/सामा-1(3)/वाराणसी मं0/2010, दिनांक 04-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह की आवश्यक चिकित्सा सुविधा को देखते हुए, यदि कोई कठिनाई न हो तो, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त बंदी को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाय।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:260/2015/2655जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
2. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/नैनी (इलाहाबाद)।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in